**सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2**

**संख्याः /XXXIV-2/2020/169/2005**

**देहरादूनः दिनांकः दिसम्बर, 2020**

**कार्यालय आदेश**

श्री जितेन्द्र कुमार, तकनीशियन, पूर्ववर्ती राजकीय वेधशाला, नैनीताल, अधिसंख्यक राज्य कार्मिक, सम्प्रति सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के अन्तर्गत संचालित स्वायत्यशासी संस्था ‘‘उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद्, देहरादून,(यू-काॅस्ट) देहरादून में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर तैनात हंै।

2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित संस्था यू-काॅस्ट की प्रबन्धकार्यकारिणी की दिनांक 14 अगस्त 2019 को आयोजित बैठक में श्री जितेन्द्र कुमार को संस्था यू-काॅस्ट में आमेलन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। श्री जितेन्द्र कुमार का संस्था यू-काॅस्ट में आमेलन किये जाने विषयक महानिदेशक यू-काॅस्ट, देहरादून के पत्र संख्या- 17029/वि0प्रौ0प0/सचि0/24/2019-20 दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 के क्रम में शासन द्वारा इस आशय की अनापत्ति कार्यालय आदेश संख्या- 365/XXXIV-2/2019/169/2005 दिनांक 29 जनवरी, 2020 द्वारा निर्गत की गयी। उक्त अनापत्ति में निहित शर्तों के अधीन महानिदेशक यू-काॅस्ट के पत्रांक-18490/ वि0प्रौ0प0/सचि0/2020-21 दिनांक 18.11.2020 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार, तकनीशियन, पूर्ववर्ती राजकीय वेधशाला, नैनीताल, अधिसंख्यक राज्य कार्मिक, का आमेलन संस्थाहित में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के अन्तर्गत संचालित स्वायत्यशासी संस्था ‘‘उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद्, देहरादून,(यू-काॅस्ट) देहरादून में किये जाने की संस्तुति प्रदान करते हुए शासन के पूर्वानुमोदन का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में श्री जितेन्द्र कुमार, तकनीशियन, पूर्ववर्ती राजकीय वेधशाला, नैनीताल, अधिसंख्यक राज्य कार्मिक का सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों का आमेलन नियमावली, 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-काॅस्ट), देहरादून के पदीय ढांचे में स्वीकृत पदों के सापेक्ष आमेलन किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि इस संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु उक्त आमेलन नियमावली, 1984 के प्रावधानों एवं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्(यू-काॅस्ट) देहरादून की कार्मिक सेवा नियमावली एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(विजय कुमार यादव)

अपर सचिव।

**संख्याः 220 / XXXIV-2/2020/169/2005 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2-निजी सचिव, सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4-जिलाधिकारी, नैनीताल।

5- महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-काॅस्ट), देहरादून।

6-संबंधित कार्मिक द्वारा महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यू-काॅस्ट), देहरादून।

7- गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)

अपर सचिव।